


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



100

ONE HUNDRED RUPEES

100/100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GN 447383

(श्रेणी- 'अ')

वर्ष 2023-24 में मजदूरादि की जाने वाली जिल्लोमा इन फार्मों संख्या की सोसाइटी/ट्रस्ट के अर्जस और भविष्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नौदरी शर्त-पत्र का प्रारूप

इस प्रकार अर्जस लिख बादाय पूर्व भी अर्जस बादाय अर्जस अर्जस पूर्व भविष्य राम-जोना विषय बादाय मजदूरी अर्जस, दुर्गी सोल्युट-अर्जस विषय बादाय करते हैं-

1. यह कि इनकी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अर्जस एन्ड फार्मों बादाय मजदूरी, अर्जस, दुर्गी सोल्युट (संख्या का नाम एवं पता) नामक विषय इन फार्मों बादाय की अर्जस का 2023-24 में किया जाया अर्जस है।
2. यह कि इनकी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम नाम- मजदूरी, पोस्ट- अर्जस, एन्ड- दुर्गी विषय- सोल्युट के पता संख्या 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2130, 2131, 2132, 2133 (कुल संख्या 1.1737 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि अर्जस भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी अर्जस किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद अर्जस है।
4. यह कि, अर्जस पर पर सोसाइटी के नाम अर्जस भूमि के पता संख्या 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2130, 2131, 2132, 2133 संख्या 1.1737 हेक्टेयर कुल संख्या 0.8100 हेक्टेयर पर अर्जस नाम की विषय इन फार्मों बादाय की अर्जस किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04/03/2021 द्वारा किया गया है।

Handwritten notes and signatures in the top left corner.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right corner.

5. यह कि उपरोक्त बुनियादी ढांचे के अंतर्गत दिल्लीमा धार्मिक संस्थानों के संचालन हेतु मंजूरी का निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निर्देशन समिति के समक्ष उपरोक्त धार्मिक संस्थानों/दुर्गों के नाम बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं निर्धारित करने के ही निर्देशन समिति के समक्ष निर्देशन हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस बुनियादी ढांचे का इस पर निर्मित मंजूरी में धार्मिक संस्थानों/दुर्गों, नई दिल्ली के दिल्ली के अंतर्गत ही दिल्लीमा धार्मिक संस्थानों के ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में धार्मिक संस्थानों/दुर्गों, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रविष्टिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं के अनुसार ही संचालन में प्रविष्टिक प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त बुनियादी ढांचे का इस पर निर्मित मंजूरी में धार्मिक संस्थानों/दुर्गों, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रविष्टिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालन में सम्बद्ध संस्था एवं संस्थानों के अंतर्गत किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/संस्थान/आईआईटीआईआई आदि का संचालन न हो पुरे में जारी किया गया है, और न ही भविष्य में जारी किया जाएगा।
10. यह कि संचालन के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं उपकरणों/संसाधनों आदि को धार्मिक संस्थानों/दुर्गों, नई दिल्ली एवं प्रविष्टिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक सैलरी एवं प्रविष्टिक धरण की रीमाई/सौमाहरी/दुर्ग द्वारा एक प्रारंभ के पुरे कर किया जाएगा।
12. यह कि संचालन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशनों/आदेशों का पालन करना। यदि पर संचालन में किसी भी समक्ष स्थानीय निर्देशन में अनुमानानुसार कोई भी धार्मिक संस्था/दुर्ग को प्रविष्टिक की निर्देशन एवं सम्बद्ध समिति द्वारा किया गया निर्देशन अतिक्रमण एवं पुरे माया होगा। इस हेतु धार्मिक संस्था/दुर्गों/संस्थानों/आईआईटीआईआई आदि का संचालन न हो पुरे में जारी किया गया है, और न ही भविष्य में जारी किया जाएगा।
13. यह कि संस्था/संस्थानों/दुर्गों/संस्थानों/आईआईटीआईआई आदि का संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं उपकरणों/संसाधनों आदि को धार्मिक संस्थानों/दुर्गों, नई दिल्ली एवं प्रविष्टिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।

100 संस्था



100 संस्था